:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– सोनू कुमार गुर्जर आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– 08/24

1. श्री जगदीश पिता नगजी जाति पटेल।
2. श्री वासुदेव पिता नगजी जाति पटेल निवासी चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

बनाम

1. श्री रमेशचन्द्र पिता कमजी जाति पटेल।
2. दिपीका पिता लालशंकर जाति पटेल।
3. रमीला पिता कमजी जाति पटेल।
4. वर्षा पत्नि लालशंकर जाति पटेल।
5. हितेश पिता लालशंकर जाति पटेल निवासी चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
6. श्री भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण गांव चिखली तहसील चिखली के स्थाई निवासी है।

यह कि वादीगण एवं अन्य सहखातेदार की रिकॉर्डेड खातेदारी आराजी मौजा चिखली में खाता संख्या 487 खसरा नम्बर 1482 खेत किता 1 कुल रकबा 0.0647 है0 होकर स्थित है। जिस पर पारिवारिक बंटवारे में उक्त आराजी वादीगण के हिस्से में आने से वादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करने आ रहा है।

यह कि मौजा चिखली की आराजी संख्या 1486 की भूमि जिसमें वर्षों से ही वादीगण एवं अन्य कई काश्तकार कृषि कार्य को लेकर पैदल, बैल गाडी, कृषि कार्य के साधन, ट्रेक्टर वाहन को लेकर आवाजाही करते हुए आ रहे है। उक्त आराजी की भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते को अवरूद्व कर दिया गया है। जिससे वादीगण एवं अन्य कई काश्तकार को अपनी खातेदारी आराजी में सारसभाल के लिए अपने खेतों में आने जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड रहा है। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 1486 में आवाजाही के लिए उपयोग की जा रही भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर नक्शे में पैमुद किया जाने को लेकर बात की तो उक्त आराजी को रास्ता दर्ज करने से मना कर दिया जिससे लगातार विवाद होने लगा।

यह कि वादी अपने कब्जे काश्त की कॉलम संख्या दो में अंकित आराजी में सडक आराजी नम्बर 1528 किस्म रास्ते की भूमि से होकर उत्तर की ओर प्रतिवादी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1486 खातेदारी आराजी में पूर्व की ओर किनारे की भूमि से वर्षों से कृषि कार्य को लेकर पैदल, बैलगाडी, कृषि कार्य के साधन, ट्रेक्टर वाहन को लेकर आवाजाही करते हुए उत्तर की ओर आराजी संख्या 1481 किस्म रास्ते की भूमि से होकर वादी अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1482 में एवं अन्य काश्तकार अपनी आराजी में प्रवेश करते आ रहे है। प्रतिवादी की खसरा नम्बर 1486 कृषिभूमि में वर्षो से वादीगण व उनका परिवार आना जाना करते आ रहे है। जिस पर वादीगण ने उक्त भूमि जिसका आवाजाही के लिए अपयोग किया जा रहा है जिसे नक्शा ट्रेस में दर्शित करने प्रतिवादी से बात की तो रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से इंकार कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है। जिससे वादीगण ने वाद के जरीये प्रतिवादी की खातेदारी आराजी संख्या 1486 में रास्ते के लिए उपयोग की जा रही भूमि को रास्ता के रूप में राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करने वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। जो मयाद अवधि में पेश है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट तलब की गई।

वादीगण ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1482 रकबा 0.0647 है0 में कृषि कार्य हेतु खसरा नम्बर 1528 किस्म रास्ता (बिलानाम) से होकर प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 1486 रकबा 0.0728 है0 (किस्म आबादी 0.0405 एवं सीरमा द्वि. 0.0323 है0) में पूर्व की ओर 15 फीट चौडाई का रास्त कायम करने हेतु वाद पेश किया है। तहसीलदार चिखली की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1486 से उत्तर की ओर खसरा नम्बर 1481 किस्म रास्ता (बिलानाम) सटा हुआ है जिसमें से होकर वादीगण की भूमि

खसरा नम्बर 1482 में आसानी से आवागमन कर सके। प्रतिवादीगण के जवाब में वादीगण के खेतों में आने जाने के लिए पूर्व से ही गांव की आबादी भूमि खसरा नम्बर 1448 में स्थित सीसी सडक से ग्राम चिखली की आराजी संख्या 1481 किस्म रास्ता रिकॉर्ड में रास्ता बना हुआ बताया गया है।

प्रार्थना पत्र का गहन अध्ययन किया गया। प्रतिवादीगण के जवाब एवं तहसीलदार चिखली के जवाब पर वादी के वाद में वर्णित पहलूओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों के आधार पर वादी के द्वारा बताये वादी के खसरा नम्बर 1482 में आवाजाही हेतु अन्य रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 1481 किस्म रास्ता होना पाया गया है।

अतः वादी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सोनू कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली